

3/यो0संक०-31/2023  
बिहार सरकार  
समाज कल्याण विभाग 19

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश  
(संख्या /2026-27)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,  
अपर सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -...13.04.2026

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में समाज कल्याण निदेशालय अन्तर्गत संचालित पर्यवेक्षण गृह/बाल गृह के लिए भवन अन्तर्गत भूमि अर्जन के लिए राज्य स्कीम मद में रू० 406.00 लाख (चार करोड छः लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण निदेशालय अन्तर्गत विधि विवादित बच्चों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रयोजनार्थ बाल गृह/पर्यवेक्षण गृह का संचालन किया जाता है। इसके तहत जिलों में बाल गृह/पर्यवेक्षण गृह के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जन के लिए राज्य स्कीम मद में वित्तीय वर्ष 2026-27 अन्तर्गत कुल रू० 406.00 लाख (चार करोड छः लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि रू. लाख में)

क्र०	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	पर्यवेक्षण गृह बाल गृह के लिए भवन हेतु भूमि अर्जन	(51-4235021020106)	0106.53.02	406.00
योग:- रू० (चार करोड छः लाख)				406.00

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, जिला स्तर पर सभी कार्यपालक अभियंता, संबंधित भवन निर्माण प्रमण्डल निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।


3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 12888/वि० दिनांक 03.12.2024, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि० दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशो/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0संक०-31/2023 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-11/टि० पर दिनांक-10.04.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स0क0-31/2023 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-11/टि0 पर दिनांक-10.04.2026 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन




(योगेश कुमार सागर)

अपर सचिव।

जापांक- 3/यो0स0क0-31/2023/.....19...../दिनांक- 13.04.2026


**प्रतिलिपि** -महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय /सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



अपर सचिव,

जापांक- 3/यो0स0क0-31/2023/.....19...../ दिनांक- 13.04.2026


**प्रतिलिपि**-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन कोषागार, पटना सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



अपर सचिव,

जापांक- 3/यो0स0क0-31/2023/.....19...../ दिनांक- 13.04.2026

**प्रतिलिपि**-विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।



अपर सचिव,

